क्रेशर की जांच में मिला नियमों का उल्लंघन

कलेक्टर ने नवभारत की खबर पर सजन स्टोन क्रेशर लौआ के दिए थे जांच के निर्देश, संयुक्त दल ने की जांच

नियमों के विरुद्ध संचालित स्टोन क्रेशर की कब होगी जांच!
खबर का असर

नवभारत न्यूज

सीधी 9 जून। कलेक्टर ने नवभारत की खबर पर सजन स्टोन क्रेशर लौआ के जांच के निर्देश दिये थे। राजस्व और खनिज के संयुक्त दल को क्रेशर की जांच में नियमों का उल्लंघन मिला।

कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देश पर राजस्व एवं खनिज के गठित संयुक्त दल में राजस्व से एसडीएम सिहावल, तहसीलदार बहरी, आरआई, पटवारियों की टीम थी। खनिज विभाग से खनिज अधिकारी सीधी, निरीक्षक सहित खनिज विभाग का अमला था। संयुक्त दल द्वारा गत रविवार को सजन स्टोन क्रेशर लौआ जांच के दौरान जहां क्रेशर बंद पाया गया। वहीं खदान के चारो तरफ नियमानुसार सीमा चिन्ह पिलर एवं तार फिंसिंग नही पाई गई ना ही क्षेत्र में निर्धारित नियमानुसार वृक्षारोपण तथा क्रेशर के चारो तरफ बाउंड्री वॉल और प्रदूषण नियंत्रण के बेहतर उपाय नही किए गए थे। इसके अलावा जांच दल द्वारा क्रेशर के उत्पादन-बिक्री एवं मजदूर पंजी की चाही गई जानकारी भी उपलब्ध नही कराई गई।

ये थीं शिकायतें

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप था कि सजन स्टोन क्रेशर द्वारा स्वीकृत से ज्यादा क्षेत्रफल में पत्थर का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। जांच एवं निरीक्षण न होने से यह मनमानी लगातार बढ़ रही है। साथ ही क्रेशर क्षेत्र में सुरक्षा मानकों का कोई इंतजाम नही है। जबकि क्रेशर क्षेत्र में बाउंड्री वाल या सुरक्षा घेरा होना चाहिए।

इनका कहना है

सजन स्टोन क्रेशर मयापुर की कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त दल द्वारा की गई जांच में मिले नियमों के उल्लंघन के आधार पर जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा जायेगा।

कपिल मुनि शुक्ला
खनिज अधिकारी सीधी

शीतल भलावी होंगी नगर पालिका परिषद सीधी की प्रभारी सीएमओ

सीधी 9 जून। नगर पालिका परिषद सीधी की प्रभारी सीईओ सुश्री शीतल भलावी होंगी। वर्तमान में वे सहायक आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा में पदस्थ हैं। उन्हें नगर पालिका परिषद सीधी में सीईओ का पद रिक्त होने से अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जिन बड़ी नगरीय निकायों में सीएमओ का पद लंबे समय से रिक्त था वहां के लिए नगरीय निकाय के अन्य अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया गया है।

जनसुनवाई में 477 आवेदकों की सुनी गई समस्याएं

सीईओ जिला पंचायत ने त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

नवभारत न्यूज

सीधी 9 जून। जिला पंचायत सीधी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचे 477 आवेदकों की समस्याएं सुनीं।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदनों पर उन्होंने गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीईओ जिला पंचायत ने प्रत्येक आवेदन की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से प्रकरणों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा समस्याओं के समयबद्ध समाधान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई आमजन की समस्याओं के निराकरण का महत्वपूर्ण माध्यम है इसलिए सभी विभागीय अधिकारी प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन प्रकरणों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित है उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। साथ ही आवेदकों को उनके प्रकरण की प्रगति एवं निराकरण की जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए, जिससे शासन-प्रशासन के प्रति नागरिकों का विश्वास और मजबूत हो। इस अवसर पर जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं जनपद पंचायतों के सीईओ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई में शामिल होकर प्राप्त आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया से जुड़े रहे।

जेपीव्हीएल निगरी में मनाया गया पर्यावरण दिवस

नवभारत न्यूज

सीधी 9 जून। हर वर्ष की भांति इस वर्ष 2026 में भी जेपी निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट निगरी एवं सीमेन्ट ग्राइडिंग यूनिट निगरी द्वारा पर्यावरण दिवस मनाया गया।

जेपी निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट के हेड मयंक झालावडिया ने इस मौके पर वर्ष 2026 की थीम प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए पर उद्बोधन दिया एवं पर्यावरण के प्रति सभी कर्मचारियो को जागरूक होने के लिये शपथ दिलाई। प्लांट प्रशासन एवं इनवायरमेंटल सेल के द्वारा प्लांट परिसर में साप्ताहिक रूप से 1 से 5 जून की अवधि के दौरान पर्यावरण जन जागरण एवं जागृति के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां की गयीं। जिनमें मुख्यत प्लांट परिसर के मुख्य स्थानों पर पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिये बैनर लगाना, ई-वेहीकल रैली एवं साईकिल रैली का आयोजन, कर्मचारियों में एलईडी बल्ब का वितरण, प्लास्टिक का उपयोग बंद करने हेतु जागरूकता रैली, छात्र-छात्राओं द्वारा पर्यावरण जागरूकता विषय पर स्लोगन एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन, वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन एवं इत्यादि गतिविधियां की गयीं। इस मौके पर प्लांट के हेड मयंक झालावडिया, एसएन दुबे, घनश्याम गर्ग, एसके पाणिग्रही, नदीम अहमद खान एवं इन्वायरमेंट सेल से एनके सिंह इत्यादि मौजूद रहे।

गर्भवती महिलाओं को मिली स्वास्थ्य सेवाएं

विशेष एएनसी शिविर आयोजित

नवभारत न्यूज

सीधी 9 जून। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मंगलवार को जिले के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में विशेष एएनसी शिविर आयोजित किए गए। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।

सीएचएचओ डॉ.बबिता खरे के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आयोजित शिविरों में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षण, उच्च जोखिम गर्भावस्था की पहचान एवं उपचार की व्यवस्था की गई। साथ ही नवीन गर्भवती महिलाओं का पंजीयन कर उन्हें एमसीपी कार्ड वितरित किए गए तथा आयरन-फोलिक एसिड (आईएफए), कैल्शियम सहित आवश्यक औषधियों का वितरण किया गया। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई गई, वहीं आवश्यकतानुसार 108 एम्बुलेंस सेवा का भी उपयोग किया गया। डॉ.सुनीता तिवारी, डीएचओ-1 के पर्यवेक्षण में आयोजित इस विशेष अभियान के दौरान प्रदान की गई सभी सेवाओं एवं जांचों की जानकारी ई-पीएमएसएमए पोर्टल पर दर्ज की गई।

एक नजर में

विद्युत पेंशन हित रक्षक संघ शाखा सीधी की बैठक आयोजित

सीधी। विद्युत पेंशन हित रक्षक संघ शाखा सीधी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन 9 जून मंगलवार को संपन्न हुआ। बैठक में संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा पेंशनर्स की समस्याओं एवं उनके निराकरण के संबंध में विचार .विमर्श किया गया। बैठक में विशेष रूप से रामपुर क्षेत्र से बड़ी संख्या में विद्युत पेंशनर्स उपस्थित रहे। इनमें नरेश कुशवाहा, पी.एल.गुप्ता, भगवान दीन वर्मा, मोहम्मद वारिस अंसारी, केशव प्रताप सिंह, छोटे लाल सिंह एवं पातीराज सिंह सहित अन्य पेंशनर्स ने भाग लिया। उपस्थित सदस्यों ने पेंशनर्स के हितों की रक्षा, उनकी लंबित समस्याओं के समाधान तथा संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। बैठक में पेंशनर्स से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सुझाव भी आमंत्रित किए गए।

बारिश के साथ तेज अंधड़ से घरों के उड़े शेड

सीधी। मौसम के बदले मिजाज के चलते आज दोपहर करीब 1 बजे बारिश के साथ तेज अंधड़ का दौर चलने से कई घरों के शेड एवं खपरैल उड़ गए। घरों में लगे शेड एवं खपरैल उड़ने से संबंधित लोगों को भारी क्षति उठानी पड़ी है। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम मधुरी कोठार तहसील गोपद बनास निवासी श्रीनिवास शुक्ला पिता चक्रधर प्रसाद शुक्ला, रामनिवास शुक्ला पिता चक्रधर प्रसाद शुक्ला, लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला पिता रामानुग्रह शुक्ला, सुशीला पति रामानुग्रह शुक्ला एवं सत्यनारायण शुक्ला पिता रामसुंदर शुक्ला के घरों में लगे सीमेंट के शेड तेज अंधड़ में उड़ने से पूरी तरह से टूट गए। संबंधित लोगों ने बताया कि बरसात के पूर्व तेज अंधड़ के कारण उनके कच्चे घर में सीमेंट के शेड एवं खपरैल लगे हुए थे। काफी तेज अंधड़ आने के कारण टीम के शेड ताश के पत्तों की तरह बिखरकर नीचे गिरे और टूट गए। बरसात के पूर्व तेज अंधड़ के चलते कच्चे घरों को भारी क्षति हुई है।

कलेक्टर के हस्तक्षेप से वृद्ध पिता को मिला सहारा

सीधी। कलेक्टर विकास मिश्रा के पटपरा क्षेत्र भ्रमण के दौरान 80 वर्षीय वृद्ध चंद्रभान साहू ने अपनी पीड़ा साझा की। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में, जब उन्हें अपने परिवार के सहयोग और सहारे की आवश्यकता थी, तब वे भोजन, दवा और दैनिक आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करने को विवश थे। अपनी चल-अचल संपत्ति पुत्रों के नाम कर देने के बाद भी उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था और वे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहे थे। वृद्धजन की समस्या सुनते ही कलेक्टर विकास मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके निर्देशन में एसडीएम विकास आनंद द्वारा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की गई। जांच और सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि चंद्रभान साहू ने अपने जीवनकाल में ही अपनी चल एवं अचल संपत्तियों का बंटवारा पुत्रों के बीच कर दिया था। इसके बावजूद उनके भरण-पोषण और देखभाल की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। प्रशासन द्वारा मामले का गंभीरता से परीक्षण कर सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायोचित निर्णय लिया गया। न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए चंद्रभान साहू के सभी पुत्रों को अपने पिता के भरण-पोषण के लिए प्रत्येक माह एक-एक हजार रुपये प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। यह राशि प्रत्येक माह की 1 से 5 तारीख के मध्य अनिवार्य रूप से दी जाएगी, जिससे वृद्धजन की भोजन, दवा एवं अन्य आवश्यक जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके।

अस्पतालों में समय पर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

सीधी। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सीएमएचओ ने सभी शासकीय चिकित्सालयों के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय पर अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहकर सेवाएं प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा समय-सीमा बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) तथा आपातकालीन कक्ष में रोस्टर के अनुसार चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

बढ़ौरा शिव मंदिर में अव्यवस्थाओं को लेकर एनएसयूआई ने उठाये सवाल

नवभारत न्यूज

सीधी 9 जून। अधिकमास के अंतिम सोमवार पर बढ़ौरानाथ शिव मंदिर में उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच सामने आए वीडियो ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में पुरुष पुलिसकर्मी महिला श्रद्धालुओं को कंधे से पकड़कर एवं खींचकर भीड़ नियंत्रित करते दिखाई दे रहे हैं।

इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एनएसयूआई म.प्र. के प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह परिहार ने कहा कि सवाल किसी पुलिसकर्मी की नीयत का नहीं बल्कि उस प्रशासनिक विफलता का है जिसने ऐसी स्थिति उत्पन्न होने दी। श्री परिहार ने कहा कि बढ़ौरानाथ शिव मंदिर में अधिकमास, सावन एवं अन्य विशेष अवसरों पर भारी भीड़ जुटना कोई नई बात नहीं है। वर्षों से ऐसे अवसरों पर हजारों श्रद्धालु दर्शन हेतु पहुंचते रहे हैं। इसके बावजूद यदि माताओं-बहनों की व्यवस्था के लिए पर्याप्त महिला पुलिस बल तक उपलब्ध नहीं कराया गया तो यह गंभीर लापरवाही का विषय है। आज आस्था के प्रमुख केन्द्रों में से एक बढ़ौरानाथ शिव मंदिर में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होना कि पुरुष पुलिसकर्मियों को महिला श्रद्धालुओं के बीच हस्तक्षेप करना पड़े, अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सीधी को पत्र प्रेषित कर संपूर्ण व्यवस्था की समीक्षा, महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सम्मान के अनुरूप पर्याप्त महिला पुलिस बल की तैनाती तथा भविष्य में ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल संज्ञान लेकर भविष्य में बढ़ौरानाथ शिव मंदिर सहित जिले के सभी प्रमुख धार्मिक आयोजनों में बेहतर, सुरक्षित एवं सम्मानजनक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग की है।

वृद्धाश्रम में श्रवण यंत्र एवं फिजियोथेरेपी सेवाओं का लाभ

सीधी 9 जून। कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशन एवं उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण धनंजय मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र द्वारा पनवार स्थित वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों के लिए विशेष स्वास्थ्य एवं सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बुजुर्गों को श्रवण यंत्र उपलब्ध कराए गए तथा फिजियोथेरेपी सेवाएं प्रदान की गईं। वृद्धाश्रम में निवासरत सोमनाथ जायसवाल, जयकरण बैगा एवं कुमरिया कोरी को श्रवण यंत्र (कान की मशीन) प्रदान किए गए।

समान नागरिक संहिता पर व्यापक जनसंवाद, विभिन्न वर्गों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव

नवभारत न्यूज

सीधी 9 जून। मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता के संभावित क्रियान्वयन के संबंध में नागरिकों के सुझाव एवं विचार प्राप्त करने के उद्देश्य से मंगलवार को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्र. 1 सीधी के स्वामी विवेकानंद सभागार में जन-परामर्श बैठक आयोजित की गई।

उच्च स्तरीय समिति के सदस्य अनूप नायर की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, शांति समिति के सदस्यों, प्रबुद्ध नागरिकों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैठक के दौरान समान नागरिक संहिता के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें विवाह, विवाह विच्छेद एवं भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण तथा लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषय प्रमुख रूप से शामिल रहे। उपस्थित प्रतिभागियों ने अपने अनुभवों, सुझावों और शंकाओं को खुलकर साझा किया तथा विषय के सामाजिक, कानूनी एवं व्यावहारिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण विचार रखे। प्रतिभागियों ने सुझाव दिया कि किसी भी नए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक जन-जागरूकता आवश्यक है। साथ ही समाज के सभी वर्गों के साथ निरंतर संवाद स्थापित कर उनकी भावनाओं और अपेक्षाओं को समझना भी जरूरी है।

कई वक्ताओं ने कानूनी प्रक्रियाओं को सरल एवं सुगम बनाने तथा आम नागरिकों तक सही जानकारी पहुंचाने पर विशेष बल दिया। उच्च स्तरीय समिति के सदस्य अनूप नायर ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, समुदायों और हितधारकों के सुझाव एवं विचार प्राप्त कर एक समग्र एवं संतुलित दृष्टिकोण विकसित करना है।

परीक्षा निरस्त होने की जांच हो : अभिषेक

नवभारत न्यूज

सीधी 9 जून। म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित वन रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक एवं क्षेत्र रक्षक भर्ती परीक्षा की दूसरी पाली तकनीकी कारणों से निरस्त किए जाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व जिला संयोजक अभिषेक मिश्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

परीक्षा के दौरान सर्वर में आई तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को मानसिक, आर्थिक एवं समय संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा। परीक्षा को पुनः 20 जून को आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि दूर-दराज के जिलों से परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों को यात्रा, आवास एवं अन्य व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ा है। परीक्षा निरस्त होने से छात्रों में निराशा और आक्रोश का माहौल है। श्री मिश्रा ने राज्य सरकार एवं कर्मचारी चयन मंडल से मांग की है कि सर्वर फेल होने और परीक्षा निरस्त होने के वास्तविक कारणों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा दोषी अधिकारियों एवं तकनीकी एजेंसियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।

प्रतिमा स्थापना विवाद : प्रतिमा हटी तो होगा आंदोलन

इंद्रजीत कुमार की प्रतिमा अनावरण को लेकर नपा पार्षदों एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कांग्रेस नेता ने की पत्रकारवार्ता

नवभारत न्यूज

सीधी 9 जून। पूर्व मंत्री इंद्रजीत कुमार की प्रतिमा अनावरण को लेकर कांग्रेस नपा पार्षदों एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कांग्रेस नेता ने पत्रकारवार्ता में निवेदन के साथ चेतावनी दी। प्रतिमा स्थापना विवाद पर कहा गया कि प्रतिमा हटी तो आंदोलन होगा।

प्रतिमा स्थापना विवाद को लेकर आयोजित पत्रकारवार्ता में नपा पार्षदों एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कांग्रेस नेता विनोद वर्मा ने विस्तार से जानकारी दी। कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद आनंद सिंह ने तत्संबंध में बताया कि पूर्व मंत्री इन्द्रजीत कुमार की मूर्ति स्थापना के लिये नगर पालिका परिषद सीधी की ओर से सम्पूर्ण कार्यवाही वर्ष 2023 में पूर्ण कर ली गई थी। जिला प्रशासन की ओर से प्रतिमा स्थापना की अनुमति के लिये अनावश्यक रूप से स्वीकृति लटका कर रखा गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता ने कहा कि नगर पालिका परिषद के निर्वाचन के पश्चात प्रथम बैठक में ही सर्वसम्मति से पूर्व मंत्री इन्द्रजीत कुमार की प्रतिमा स्थापना के लिये प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। नगर पालिका में कांग्रेस का बहुमत है किन्तु भाजपा एवं अन्य पार्षदों द्वारा प्रतिमा स्थापना के लिये अपनी स्वीकृति दी गई है।

प्रशासन की उदासीनता या सत्ता पक्ष का दबाव

पत्रकारवार्ता में कहा गया कि पूर्व मंत्री इन्द्रजीत कुमार की प्रतिमा स्थापना हेतु वर्ष 2023 से मई 2026 तक जिला प्रशासन की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया। इसे प्रशासन की उदासीनता कहें या फिर सत्ता पक्ष का दबाव। इसी मनमानी के चलते कांग्रेसजन द्वारा उक्त प्रतिमा का स्थापित कर दिया गया है जो सर्वथा उचित है। अभी भी न्याय यह होगा कि प्रशासन प्रतिमा लगाने की अनुमति आदेश पारित कर दे और कलेक्टर द्वारा भूमि आवंटन आदेश पारित कर दिया जाए।